



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26032025-261965  
CG-DL-E-26032025-261965

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1391]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 26, 2025/चैत्र 5, 1947

No. 1391]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 26, 2025/CHAITRA 5, 1947

सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2025

का.आ. 1409(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1818(अ) तारीख 26/04/2024, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के राजगढ़ जिले में NH752-C (जीरापुर से पचोर रोड) (पचोर बायपास) के कि.मी. 52+000 से कि.मी. 58+800 तक के भूखण्ड के निर्माण, (दो लेन / चार लेन बनाने/ चौड़ा करने) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपावद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "28 मई 2024" को "दैनिक भास्कर" और "फ्री प्रेस" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दें दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

### अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के राजगढ़ जिले में NH752-C (जीरापुर से पचोर रोड) (पचोर बायपास) के कि.मी. 52+000 से कि.मी. 58+800 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश			जिले का नाम: राजगढ़		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: पचोर					
गांव का नाम: मिठुनपुर					
1	264	निजी	सिंचित	0.253	कंचन बाई पुत्री गिरधारी, जीतेन्द्र पिता मांगीलाल, धर्मेन्द्र पिता मांगीलाल, अनोखीबाई वेबा मांगीलाल, रामकन्या बाई वेबा छोटेलाल ना बा रोहित मोहित किरण पिता छोटेलाल 264
गांव का नाम: पनवाड़ी					
2	131/1	निजी	सिंचित	0.026	रमेश चन्द्र पिता भंवरलाल 131/1

3	131/2	निजी	सिंचित	0.034	ननू सिंह पिता भंवरलाल 131/2
4	261/1	निजी	सिंचित	0.29	रतिराम पिता भंवरलाल, बाजे सिंह, बिहारीलाल पिता बापूलाल सेवाबाई लीलबाई, गौराबाई पुत्री बापूलाल सुंदरबाई विधवा बापूलाल 261/1
5	261/3/1	निजी	सिंचित	0.063	बहादुर सिंह पिता बद्रीलाल 261/3/1
6	261/3/2	निजी	सिंचित	0.194	जगदीश सिंह पिता बद्रीलाल 261/3/2
7	261/3/3	निजी	सिंचित	0.109	बलराम सिंह पिता बद्रीलाल 261/3/3
8	261/5	निजी	सिंचित	0.467	गजराज सिंह पिता अमृतलाल बुलाबाई बेवा अमृतलाल, दरियाव सिंह पिता मांगीलाल, क्षमा बाई बेवा जगन्नाथ 261/5
9	69/3	निजी	सिंचित	0.456	इंदर सिंह पिता बिहारीलाल 69/3
<b>गांव का नाम: पचोर</b>					
10	797/2	निजी	सिंचित	0.145	मोहम्मद शकील खान पिता मोहम्मद शफीक

					खान 797/2
11	799/2/2	निजी	सिंचित	0.306	श्रीमती रफीका खान पति मोहम्मद शफीक खान 799/2/2
<b>Total</b>				<b>2.343</b>	

[फा. सं. CE-RO BPL/30010/45/2018-19/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th March, 2025

**S.O. 1409(E).**— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O.1818(E) Dated:26/04/2024 , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning etc.), Maintenance, management and operation of NH752-C in the stretch of land from Km. 52+000 to Km. 58+800 (Jirapur to Pachore Road) (Pachore Bypass) in the district of RAJGARH in the state of MADHYA PRADESH.

And whereas the substance of the said notification has been published in “Dainik Bhaskar” and “Free Press” both dated 28 May 2024; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

**SCHEDULE**

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH752-C in the stretch of land from Km. 52+000 to Km. 58+800 (Jirapur to Pachore Road) (Pachore Bypass) in the district of RAJGARH in the state of MADHYA PRADESH.

State: MADHYA PRADESH		District: RAJGARH			
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6

**Taluk: Pachore**

**Village: Mitthnpur**

1	264	Private	Irrigated	0.253	Kanchan Bai Daughter of Girdhari, Jitendra father Mangilal, Dharmendra father Mangilal,
---	-----	---------	-----------	-------	---

					Anokhibai Bewa Mangilal, Ramkanya Bai Bewa Chhotelal Na Ba Rohit Mohit Kiran father Chhotelal 264
<b>Village: Panwadi</b>					
2	131/1	Private	Irrigated	0.026	Ramesh chandra Pita Bhanwarlal 131/1
3	131/2	Private	Irrigated	0.034	Nannu singh Pita Bhanwarlal 131/2
4	261/1	Private	Irrigated	0.29	Ratiram Pita Bhanwarlal, Baje singh, Biharilal Pita Bapulal Sevabai Leelbai, Gaurabai D/o Bapulal Sundarbai Widow Bapulal 261/1
5	261/3/1	Private	Irrigated	0.063	Bahadur singh Father Badrilal 261/3/1
6	261/3/2	Private	Irrigated	0.194	Jagdeesh Singh Pita Badrilal 261/3/2
7	261/3/3	Private	Irrigated	0.109	Balram singh Pita Badrilal 261/3/3
8	261/5	Private	Irrigated	0.467	Gajraj Singh Pita Amratlal Bulabai Bewa Amratlal, Dariyav Singh Pita Mangilal , Kshama bai Bewa Jagannath 261/5
9	69/3	Private	Irrigated	0.456	Indar Singh Pita Biharilal 69/3
<b>Village: Pachore</b>					
10	797/2	Private	Irrigated	0.145	Mohammad Shakil Khan Pita Mohammad Shafik khan 797/2
11	799/2/2	Private	Irrigated	0.306	Smt.Rafika khan Pati Mohammad Shafik khan 799/2/2
<b>Total</b>				<b>2.343</b>	

[F. No. CE-RO BPL/30010/45/2018-19/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director